न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 16/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/52

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	1. रमेश/ पुनिया, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपेल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा, जिला बांसवाडा।

उपस्थित – विभागीय पैरोकार
श्री अनुराग जैन अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 19–11–2025

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जन मांग अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रमेश/ पुनिया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा की जांच दिनांक 18.12.2017 को तात्कालिन प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा की गई। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गौदाम में 929.55 क्विं गेहूं वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। रमेश/ पुनिया द्वारा ग्राम पंचायत सियापुर का कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। प्रकरण की विस्तृत जांच करने पर दुकान/ गोदाम के भौतिक सत्यापन, मुताबिक पोस मशीन अनुसार झूपैल भाग प्रथम के पास दोनो उचित मुल्य दुकानो का कुल 929.55 क्विं गेहूं स्टॉक में शेष था। अप्रार्थी डीलर को अवशेष गेहूं का हस्तांतरण अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत डीलर को करना चाहिये था। अप्रार्थी डीलर को थोक विक्रेता से आपूरित गेहूं व ऑनलाईन वितरित गेहूं के रेकार्ड अनुसार अप्रार्थी डीलर के पास उसकी मूल उचित मूल्य दुकान झुपैल [illegible] पोस कोड 6168 पर 61.27 एवं ग्राम पंचायत सियापुर की अस्थायी उचित मूल्य की दुकान पोस कोड 6207 पर 868.28 क्विं गेहूं अवशेष होना चाहिये था, जो अप्रार्थी के पास मौजुद नही न [illegible] उसके द्वारा उक्त 929.55 क्विं गेहूं का

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हस्तांतरण किया गया। अप्रार्थी डीलर का उक्त कत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 11 व 17सी का उल्लंघन किया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर रमेश/ पुनिया के विरुद्ध विभागीय प्रकण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1362/2006 को निलम्बित किया गया, साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.07.2019 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर बांसवाडा में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम पोस कोड 6168 का कुल 61.27 क्विं गेहूं एवं ग्राम पंचायत सियापुर पोस कोड 6207 का कुल 868.28 क्विं गेहूं का गबन किया गया। इस प्रकार कुल 929.55 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा की दर से 25,09,785 रु बनती है। जिसे रमेश/ पुनिया, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा से वसूली की जानी है। जिसका निर्धारित प्रारुप में मांग पत्र फार्म नंबर 1 इस पत्र के संलग्न कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 25,09,785/– रु. वसूली का जारी किया गया। दिनांक 12.09.2024 को अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल पेश हुआ एवं अप्रार्थी उपस्थित हुए। दिनांक 09.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार जैन व श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 15.01.2025 को अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया, प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम का है। अप्रार्थी ने नियमानुसार आवंटित गेहूं का वितरण किया है एवं अप्रार्थी ने गेहूं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही की है तथा उचित मूल्य की दुकान के आवंटित गेहूं का गबन नही किया है। विभाग द्वारा [illegible] को गलत सूचना दी गई है एवं धारा 3 के अनुसार मनमानी राशि का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने गेहूं की मात्रा को जानबुझकर कम बताकर एवं मनमाने ढंग से कम होना बताई है। गेंहूं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कीमत प्रति क्विंटल रु 2700/– अत्यधिक बताई है। राशन के गेहूं की कीमत रु 2700/– प्रति क्विंटल का भाव नही है। प्रमाण पत्र में बताई गई रकम रुपया 25,09,785 अप्रार्थी अदा करने को जवाबदार नही है। अप्रार्थी धारा 4 एवं धारा 6 के तहत जारी प्रमाण पत्र को अपास्त करने हेतु धारा 8 राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम 1952 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करता है।

धारा 4 का प्रमाण पत्र मियाद बाहर है, चूंकि कम गेहूं का वितरण माह सितम्बर 2016 से माह नवम्बर 2017 तक का बताकर गेहूं को खुर्द बुर्द करने व गबन करने का आरोप लगाया गया है। प्रमाण पत्र उक्त आरोपो के 3 वर्ष की अवधि में नही होने से प्रमाण पत्र में वर्णित रकम अवधि पार होने से कानूनन वसूली योग्य नही है। धारा 4 राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम 1952 का प्रमाण पत्र डिक्री का प्रभाव रखता है। धारा 4 का प्रमाण पत्र गबन राशि के सम्बन्ध में 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से जारी किया गया है। वसूली योग्य रकम देय हो जाने की दिनांक अर्थात् वसूली के लिए वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। धारा 4 के प्रमाण पत्र में विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के कानूनी प्रावधान नही है। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत भी मियाद बाहर वसूली की रकम के विलम्ब की अवधि को क्षम्य करने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार धारा 6 का नोटिस देकर अप्रार्थी से जो रकम वसूल की जा रही है वह मियाद बाहर होने से नोटिस काबिल खारजी है।

अप्रार्थी ने नियमानुसार गेंहू का वितरण किया है। अप्रार्थी ने तात्कालिन समय में प्रभावी कानून एवं राज्य सरकार, जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशो की पालना में गेहूं का वितरण किया है। उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम में स्थित है। गांव झुपैल बांसवाडा का रिमोट एरिया है जिसमें ईन्टरनेट एवं बिजली की पर्याप्त सुविधा नही है। इन परिस्थितियों में जिला रसद विभाग के निर्देशानुसार अलग से वितरण रजिस्टर एवं पोस मशिन से गेहूं वितरण का रकार्ड रखा जाता है। बिजली बंद होने एवं इंटरनेट बंद होने पर गेहूं का वितरण का इन्द्राज पृथक से रजिस्टर मे कर दिया जाता था जिसे बाद में पोस मशिन में यथासंभव दर्ज किया जाता था। इस प्रकार दुर्गम ईलाको में [illegible] वर्तमान तकनीक से कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधन नही होने पर भी अप्रार्थी ने गेहूं का वितरण किया है। गांव में गेहूं वितरण के

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

समय सभी लोग एक साथ भीड के रुप में आते है एवं इस भीड में तत्परता से कार्य करते हुए गेहूं वितरण का कार्य कठिन है। फिर भी अप्रार्थी ने अपने अथक प्रयासो से पूरी जिम्मेदारी के साथ उचित मुल्य की दुकान का गेहूं वितरण किया है। वितरण में अनियमितता को रसद विभाग द्वारा गैरकानूनी एवं गबन बताकर झूठी कार्यवाही की है। गेहूं कम होने का काई साक्ष्य नही है। फिर भी अप्रार्थी से गैरकानूनन वसूली की जा रही है।

रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकान झुपैल भाग प्रथम में अप्रार्थी वर्ष 2016 व 2017 में वितरण किए गए गेहूं का हिसाब करीब 1 वर्ष के पश्चात् लंबी अवधि गुजर जाने के बाद कई दस्तावेज नष्ट होने के पश्चात् मनमाने ढंग से हिसाब तैयार कर अप्रार्थी पर गेहूं के गबन का झुठा आरोप लगाया गया है। अप्रार्थी से राज्य सरकार की कोई रकम देना बकाया नही है। संपूर्ण गेहूं का वितरण हो चुका है। ऐसी अवस्था में जिला रसद अधिकारी ने गलत रिक्वीजेशन जारी कर गैरकानूनी वसूली का प्रमाण पत्र के आधार पर की जा रही कार्यवाही गैरकानूनी होकर काबिल खारजी है। प्रमाण पत्र में वर्णित रकम राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत वसूली योग्य नही है एवं न ही अप्रार्थी अदा करने को जवाबदार है।

धारा 4 के तहत तथाकथित जारी प्रमाण पत्र में वर्णित रकम रुपया 25,09,785/– वसूली योग्य नही है। राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत उसी रकम की वसूली हो सकती है जो " Recovery by suit is barred by any law for the time being in force." उक्त रिकवरी कानून के तहत barred by Law है। प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बांसवाडा द्वारा तथाकथित 929.55 क्विटल कम होना बताया गया है। जिससे उक्त गेंहू के संबंध में वाद कारण वर्ष 2017 में पैदा हो गया है। धारा 2 (J) 3 एवं पार्ट 1 में वर्णित आर्टिकल मियाद अधिनियम के तहत् किसी भी रकम वसूली हेतु दावा लाने के लिए तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। तीन वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी भी रकम की वसूली का वाद पेश नहीं किया जा सकता है।

धारा 4 के तहत् जारी किए प्रमाण पत्र में वर्णित रकम राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत् वसूली योग्य नहीं है। धारा 2 (5) में पब्लिक डिमाण्ड की जो परिभाषा दी गई है एवं सिड्यूल के तहत् जो रकम बताई गई है। उसमें प्रमाण पत्र में वर्णित रकम नहीं आती है। चूंकि इस मामले

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

में अप्रार्थी एवं राज्य सरकार के बीच कोई लिखित संविदा नहीं है। अप्रार्थी को दिए गए किसी ऋण के पुर्नभुगतान की रकम नहीं है, स्थानीय निकाय को अदा किए जाने वाली रकम नहीं है, लोक सेवक द्वारा गबन की गई रकम नहीं है, चूंकि अप्रार्थी लोक सेवक नहीं है, किसी प्रतिभूमि अथवा निलामी की रकम नहीं है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 में बताए सिड्यूल के अनुसार प्रमाण पत्र में वर्णित रकम नहीं आती है। रकम पब्लिक डिमाण्ड नहीं है। अतः राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत् वसूली नहीं की जा सकती तथ प्रमाण पत्र अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला रसद अधिकारी के पास अप्रार्थी को कुल दिए गए गेंहु एवं वितरण किए गए गेंहु को कोई हिसाब नहीं है। अप्रार्थी ने वर्ष 2016 से लगातार गेंहु वितरण का हिसाब रसद विभाग को दे दिया है। वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में जिला रसद विभाग के अधिकारियों ने कई बार उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया है। अप्रार्थी की उपस्थिति में कई बार भौतिक सत्यापन भी किया गया है तथा कभी भी किसी भ अवसर पर गेंहु वितरण कम नहीं पाया गया है। जिला रसद विभाग के अधिकारीयों ने वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में कभी भी उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण नहीं किया हो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक माह में दो बार उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण होता था। यदि गेंहु का वितरण कम पाया जाता तो जिला रसद विभाग के अधिकारी उसी वक्त कार्यवाही करने को सक्षम थे लेकिन उक्त अवधि में अप्रार्थी के विरूद्ध कभी कोई शिकायत अथवा कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी के विरूद्ध जिला रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना उनकी अकर्मण्यता को दर्शाता है। अधिकारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों में की गई लापरवाही को छुपाने के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गई है।

जिला रसद अधिकारी ने किस आधार पर रिक्वीजेशन जारी किया है, उस आधार का कोई विवरण नहीं दिया है, रकम की अवधि, कब से रकम बकाया है, कितना गेंहु कब–कब कितना कम हुआ, उस संबंध में कोई हिसाब नहीं है। सारी कार्यवाही एकतरफा दुर्भावना पूर्ण है। जिससे धारा 3 का रिक्वीजेशन एवं धारा 4 का प्रमाण पत्र गैर कानूनी होने से काबिल खारजी है।

अप्रार्थी के विरूद्ध गेंहु कम पाया जाने के संबंध में प्रथम सूचना संख्या 278/2018 थाना सदर में दर्ज कराई है। जो कार्यवाही विचाराधीन है एवं मैटर सब ज्यूडिस है। अप्रार्थी के विरूद्ध

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् फौजदारी प्रकरण संख्या 70/2020 रे.फौ. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में विचाराधीन है। इस तथ्य को छुपाते हुए एवं मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होते हुए पी.डी.आर. एक्ट के तहत् कानूनन वसूली किए जाने के प्रावधान नहीं है। उक्त वसूली भारतीय संविधान के डबल जीयोपार्डी के सिद्धान्त के विपरित है। प्रमाण पत्र में वसूली योग्य रकम गैरकानूनन तरीके से गबन की रकम बताई गई है। वस्तुतः अप्रार्थी ने काई गबन नहीं किया है और न ही गबन की रकम है। अप्रार्थी पब्लिक सर्वेन्ट भी नहीं है। इस प्रकार रिक्वीजेशन में गलत तथ्य बताए गए है एवं अप्रार्थी ने किसी रकम का गबन नहीं किया है। फिर भी वसूली योग्य रकम गबन की बताकर धारा 4 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो काबिल निरस्ती है।

अप्रार्थी रमेश, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत झुपेल भाग–प्रथम के विरूद्ध धारा 3 के तहत् रसद विभाग द्वारा जारी रिक्वीजेशन, धारा 4 के तहत् जारी प्रमाण पत्र एवं इसके आधार पा जारी किया गया धारा 6 का नोटिस निरस्त करने के आदेश फरमावें।

दिनांक 30.10.2025 को उभय पक्षकरान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई जो अधुरी रही तत्पश्चात् दिनांक 19.11.2025 को मजीद बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि रमेश/ पुनिया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा की जांच दिनांक 18.12.2017 को तात्कालिन प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा की गई। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गौदाम में 929.55 क्विं गेहूं वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। रमेश/ पुनिया द्वारा ग्राम पंचायत सियापुर का कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। प्रकरण की विस्तृत जांच करने पर दुकान/ गोदाम के भौतिक सत्यापन, मुताबिक पोस मशीन अनुसार झूपैल भाग प्रथम के पास दोनो उचित मुल्य दुकानो का कुल 929.55 क्विं गेहूं स्टॉक में शेष था। अप्रार्थी डीलर को अवशेष गेहूं का हस्तांतरण अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत डीलर को करना चाहिये था। अप्रार्थी डीलर को थोक विक्रेता से आपूरित गेहूं व ऑनलाईन वितरित गेहूं के रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी डीलर के पास उसकी मूल उचित मूल्य दुकान झूपैल भाग प्रथम [illegible] 6168 पर 61.27 एवं ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सियापुर की अस्थायी उचित मूल्य की दुकान पोस कोड 6207 पर 868.28 क्विं गेहूं अवशेष होना चाहिये था, जो अप्रार्थी के पास मौजुद नही न ही उसके द्वारा उक्त 929.55 क्विं गेहूं का हस्तांतरण किया गया। अप्रार्थी डीलर का उक्त कत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 11 व 17सी का उल्लंघन किया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर रमेश/ पुनिया के विरुद्व विभागीय प्रकण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1362/2006 को निलम्बित किया गया, साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.07.2019 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर बांसवाडा में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम पोस कोड 6168 का कुल 61.27 क्विं गेहूं एवं ग्राम पंचायत सियापुर पोस कोड 6207 का कुल 868.28 क्विं गेहूं का गबन किया गया। इस प्रकार कुल 929.55 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा की दर से 25,09,785 रु बनती है। उक्त राशि रूपया 25,09,785 रु. की वसूली रमेश/ पुनिया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा से करने पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस का आधार माना जावे। आगे मुख्य रुप से कथन किया कि धारा 4 के तहत तथाकथित जारी प्रमाण पत्र में वर्णित रकम रुपया 25,09,785/- वसूली योग्य नही है। राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत उसी रकम की वसूली हो सकती है जो “ Recovery by suit is barred by any law for the time being in force.” उक्त रिकवरी कानून के तहत barred by Law है। प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बांसवाडा द्वारा तथाकथित 929.55 क्विटल कम होना बताया गया है। जिससे उक्त [illegible] 2017 में पैदा हो गया है। धारा 2 (J) 3 एवं पार्ट 1 में वर्णित आर्टि[illegible] किसी भी रकम वसूली हेतु दावा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

लाने के लिए तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। तीन वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी भी रकम की वसूली का वाद पेश नहीं किया जा सकता है।

धारा 4 के तहत् जारी किए प्रमाण पत्र में वर्णित रकम राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत् वसूली योग्य नहीं है। धारा 2 (5) में पब्लिक डिमाण्ड की जो परिभाषा दी गई है एवं सिड्यूल के तहत् जो रकम बताई गई है। उसमें प्रमाण पत्र में वर्णित रकम नहीं आती है। चूंकि इस मामले में अप्रार्थी एवं राज्य सरकार के बीच कोई लिखित संविदा नहीं है। अप्रार्थी को दिए गए किसी ऋण के पुर्नभुगतान की रकम नहीं है, स्थानीय निकाय को अदा किए जाने वाली रकम नहीं है, लोक सेवक द्वारा गबन की गई रकम नहीं है, चूंकि अप्रार्थी लोक सेवक नहीं है, किसी प्रतिभूमि अथवा निलामी की रकम नहीं है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 में बताए सिड्यूल के अनुसार प्रमाण पत्र में वर्णित रकम नहीं आती है। रकम पब्लिक डिमाण्ड नहीं है। अतः राजस्थान जन अभियाचन अधिनियम के तहत् वसूली नहीं की जा सकती तथ प्रमाण पत्र अपास्त किये जाने योग्य है।

विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत प्रकरण अवधि बाधित नही है। आक्षेपित राशि जो कि जनमांग राशि है जिसे वसूल किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी डीलर ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 11 व 17सी का उल्लंघन किया है। पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे।

हमने उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर अप्रार्थी डीलर के पास उसकी मूल उचित मूल्य दुकान झुपैल भाग प्रथम पोस कोड 6168 पर 61.27 एवं ग्राम पंचायत सियापुर की अस्थायी उचित मूल्य की दुकान पोस कोड 6207 पर 868.28 क्विं गेहूं अवशेष होना चाहिये था, जो अप्रार्थी के पास मौजुद नही था न ही उसके द्वारा उक्त 929.55 क्विं गेहूं का हस्तांतरण किया गया। अप्रार्थी डीलर का उक्त कत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 11 व 17सी का उल्लंघन किया गया। उक्त अनियमितताऐं

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किये जाने पर अप्रार्थी डीलर रमेश/ पुनिया के विरुद्ध विभागीय प्रकण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1362/2006 को निलम्बित किया गया, साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.07.2019 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया एवं डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर बांसवाडा में दर्ज करवाई गई है। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 92/2017 में निर्णय दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1362/2006 निरस्त किया है।

अप्रार्थी रमेश/ पुनिया तात्कालिक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा द्वारा 929.55 क्विं गेहू गेहू का गबन किया गया। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार 929.55 क्विं गेहूं की कीमत प्रति क्विंटल 2700/– की दर से राशि रूपया 25,09,785/– बनती है। उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी रमेश/ पुनिया तात्कालिक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झूपैल भाग प्रथम तहसील बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 25,09,785/– रु. अक्षरे पच्चीस लाख नौ हजार सात सौ पिच्चासी रुपया मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested